

Guideline for Creating e-Road Permit (Form D-IX) online

1. नीचे दिए निर्देशों को सावधानी से पढ़ें तथा अंत में नीचे दिए लिंक को क्लिक करें एवं वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट खुलने दें।
2. अपना user ID तथा password डाल कर Login करें।
3. स्क्रीन पर प्रदर्शित Suvidha आइकॉन / बटन को क्लिक करें।
4. कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुले फॉर्मेट में खाली जगहों में राज्य के बाहर से मंगाए जा रहे माल का विवरण भरें।
5. Submit बटन पर क्लिक करें और स्वतः कम्प्यूटर जनित सुविधा संख्या प्राप्त करें।
6. सामान के परिवहन / transit के क्रम में विभागीय जांच के मौके पर इसे प्रस्तुत करें।
7. किसी प्रकार की असुविधा होने पर विभागीय हेल्प लाइन संख्या 1800 3456 102 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक फ़ोन करें या ईमेल : vattcs.helpdesk@gmail.com पर लिखें।